झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या:–8/गठन/108/2015/न0वि0आ0 3503 राँची, दिनांक 09/07/18

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 7, 2012) (यथा संशोधित) की धारा 3 की उपधारा (2)(स), धारा–4, 5, 6 एवं 8 की उपधारा (3) तथा धारा–14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा प्रखण्ड के 06 पंचायत के 33 राजस्व ग्राम यथा–बसुआ, गंगासागर, बलियाकुर्मीकित्ता, तेतालिया, लकडबॉक, डोमनकिता, झरनाकिता, बलियाघाट, रबियाडीह, रक्साकिता, आकासनी, कितावि‍संभरा, केन्दुआकिता, महागामा अंश, धनकुण्डा, मसकद केचुआ, केचुआ रक्सी, रक्सा मासकंद, महागामा अंश, लीलाबरी, गुनिया, मनियामोर, गोविन्दपुर, गुदिया, लतरिया, मुरलीटोक, बाधाकोल, लखीपुर, खरहरामाल, खदहरा घाट, मोहनपुर, महुआरा माल, महुआरा घाट को मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या–3035, दिनांक–08.06.2018 (गजट अधिसूचना संख्या–583 दिनांक–12.06.2018) के द्वारा महागामा नगर पंचायत का गठन किया गया है।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा 15 की उपधारा (1)(क) के परन्तुक में यह प्रावधान है कि **राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पार्षदों की संख्या का निर्धारण, अंतिम पूर्ववर्त्ती जनगणना, जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो चुके हों, के आधार पर अवधारित करेगी।**

3. 'झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012' के नियम 3 का उपनियम (1)(ग)(i) क्रमांक 1 में नगर पंचायतों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) के गठन का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में प्रथम 12,000 की जनसंख्या पर वार्डो की न्यूनतम संख्या 10(दस) होगी। इसके पश्चात् प्रत्येक 2,800 की जनसंख्या पर 1(एक) अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के गठन का प्रावधान है।

4. उपर्युक्त कंडिका से स्वतः स्पष्ट है कि पार्षदों की संख्या का अवधारण एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) की संख्या का विनिश्चय स्वाभाविक रूप से एक–दूसरे के पूरक हैं।

उक्त प्रावधान के आलोक में महागामा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पार्षदों की संख्या/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) की संख्या का अवधारण निम्न रूपेण किया जाता है :–

जिला	नगरपालिका क्षेत्र का नाम	जनगणना 2011 के आधार पर कुल जनसंख्या	मानक जनसंख्या के आधार पर वार्डो की न्यूनतम संख्या		अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डो की संख्या				कुल वार्डो की संख्या
			मानक जनसंख्या	वार्डो की संख्या	जनसंख्या	अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के गठन हेतु विनिर्धारित जनसंख्या	अनुपात	वार्डो की संख्या	
गोड्डा	महागामा नगर पंचायत	30701	12,000	10	18701	2,800	6.67	07	17

5. उपर्युक्त अवधारण के आलोक में 'झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012' के अध्याय 2, नियम 3 के तहत् वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर **महागामा नगर पंचायत** में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) की संख्या 17 एवं पार्षदों की संख्या भी 17 निर्धारित की जाती है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

6/7/18

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

Manju/E/Sec-4/Adhisuchna-13

(576)

ज्ञापांकः—8/गठन/108/2015/न0वि0आ0 3503 राँची, दिनांक 09/07/18

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट, नगर विकास विभाग को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

6/7/18
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः—8/गठन/108/2015/न0वि0आ0 3503 राँची, दिनांक 09/07/18

प्रतिलिपिः—महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

6/7/18
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः—8/गठन/108/2015/न0वि0आ0 3503 राँची, दिनांक 09/07/18

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल/उपायुक्त, गोड्डा/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/7/18
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः—8/गठन/108/2015/न0वि0आ0 3503 राँची, दिनांक 09/07/18

प्रतिलिपिः—अवर सचिव, सभी प्रशाखा—1 (स्थापना), प्रशाखा—2 (बजट), प्रशाखा—5 (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त नगर निकाय के संदर्भ में पदसृजन, बजट आवंटन एवं योजना कार्यान्वयन संबंधी आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई की जाय।

6/7/18
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः—8/गठन/108/2015/न0वि0आ0 3503 राँची, दिनांक 09/07/18

प्रतिलिपिः—श्री कुणाल, विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

6/7/18
सरकार के सचिव।

(6)

Manju/E/Sec-8/Adhsuchna-140